छत्तीसगढ़ की त्रासदी के सबक

भारत डोगरा

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर ज़िले में नसबंदी से होने वाली मौतों की त्रासदी दिल दहलाने वाली है। इन मौतों के कारणों की सही व विस्तृत जानकारी के लिए अभी कई स्तरों पर जांच का इंतज़ार है। फिर भी इस त्रासदी के कुछ महत्वपूर्ण पक्ष स्पष्ट हो चुके हैं, जिनसे भविष्य के लिए सबक लिए जा सकते हैं।

परिवार नियोजन कार्यक्रम महत्वपूर्ण भी है और सार्थक भी लेकिन जिस तरह से इसे चलाया जा रहा है, उसमें कई विसंगतियां हैं। केवल छत्तीसगढ़ में ही नहीं देश के अन्य भागों में भी जब नसबंदी शिविर लगते हैं तो स्वास्थ्यकर्मियों पर नसबंदी के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ज़ोर लगाया जाता है। उन पर दबाव होता है कि इतनी संख्या में 'केस' लाना है। पैसे व पुरस्कार का प्रलोभन भी दिया जाता है। इस कारण ऐसा माहौल बनता है कि कैसे भी अधिक से अधिक महिलाओं को एकत्र कर आनन-फानन नसबंदी कर दी जाती है। इन शिविरों में अधिकतर निर्धन परिवारों की महिलाएं होती हैं जिनके स्वास्थ्य की अधिक परवाह न करते हुए कैंपों में किसी तरह अधिक से अधिक नसबंदियां करने पर ही ज़ोर दिया जाता है।

इन शिविरों पर अधिक निर्भरता इस कारण होती है क्योंकि ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं बुरी हालत में हैं। यदि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के स्तर पर उचित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों, तो स्वास्थ्य पर समुचित ध्यान देते हुए परिवार नियोजन के विविध तरीके उपलब्ध करवाए जा सकते हैं। ऐसा न हो पाने के कारण ही नसबंदी शिविर लगाने का दबाव बनता है।

इस मामले में महिला विरोधी सोच भी सामने आती है - महिलाओं की नसबंदी अधिक कठिन होने के बावजूद ज़्यादातर नसबंदियां महिलाओं की ही होती है। यह काफी सामान्य बात है कि सर्जरी के लिए अनुकूल स्थितियों के अभाव में ही महिलाओं की नसबंदी होती है जिससे अनेक स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं।

मातृ व बाल सुरक्षा के लिए प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को वर्तमान की अपेक्षा बहुत बेहतर करना ज़रूरी है। आज स्थिति है कि प्रसव के लिए अधिक माताएं इन स्वास्थ्य केंद्रों में पहुंच तो रही हैं पर उन्हें समुचित सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। इस स्थिति में परिवार नियोजन के विविध उपायों के लिए ज़रूरी काउंसलिंग भी नहीं हो पाती है। न तो पर्याप्त डॉक्टर उपलब्ध हैं न पैरामेडिकल स्टाफ। इसके साथ जब लक्ष्य प्राप्त करने की जल्दबाज़ी जुड़ जाती है तो गंभीर गलतियों की संभावना बढ़ती है।

भ्रष्टाचार भी एक बड़ी समस्या है जिससे घटिया दवा व उपकरणों की आशंका बढ़ जाती है। ग्रामीण स्वास्थ्य के लिए उपलब्ध सीमित बजट का भी सही उपयोग नहीं हो पाता है।

ऐसे माहौल में गलतियों पर लीपापोती करने की प्रवृत्ति पनपती है। छत्तीसगढ़ में महिलाओं के गर्भाशय अनुचित ढंग से निकालने, नेत्र शिविरों में मरीज़ों के दृष्टिहीन होने के गंभीर मामलों पर पहले भी उचित दंड नहीं दिए गए थे। वर्ष 2010 में राज्य में मलेरिया से सैकड़ों मौतें हुई थीं जिन्हें सरकारी रिकॉर्ड में दिखाया ही नहीं गया।

स्पष्ट है कि देश में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं व विशेषकर परिवार नियोजन सेवाओं में बहुत सुधार की ज़रूरत है ताकि हाल की नसबंदी मौतों जैसी गंभीर असहनीय त्रासदियों से बचा जा सके।

बात केवल यह नहीं है कि किसी देश में कितने अस्पताल व डॉक्टर हैं, अपितु यह भी है कि ज़रूरतमंद लोगों तक ठीक से उनका लाभ पहुंच रहा है या नहीं। यह सवाल विशेषकर भारत जैसे देशों के संदर्भ में तो बहुत महत्वपूर्ण है जहां अमीर और गरीब, शहर और गांव के बीच स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धि में बहुत विषमता है।

अतः जहां एक ओर स्वास्थ्य सेवाओं, डॉक्टरों, नर्सों, तकनीशियनों और सभी स्वास्थ्यकर्मियों की उपलब्धि को

देश की ज़रूरतों के अनुसार बढ़ाने व इनकी गुणवत्ता बनाए रखने की चुनौती है, वहीं दूसरी ओर इससे भी बड़ी चुनौती यह है कि इनकी सेवाएं अधिक ज़रूरतमंद लोगों तक, विशेषकर दूर-दूर के गांवों के लोगों तक पहुंच सके।

यदि स्वास्थ्य सेवाओं को ज़रूरतमंदों तक पहुंचना है तो सरकार को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने में अपनी प्रमुख ज़िम्मेदारी बनाए रखनी होगी। निजी क्षेत्र के माध्यम से सब ज़रूरतमंदों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने का कार्य ठीक से नहीं हो सकता है, विशेषकर भारत जैसे देशों में जहां गरीब लोगों की, और बहुत कम क्रय क्षमता वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक है।

सामुदायिक स्वास्थ्य प्रयासों की भी बहुत अधिक ज़रूरत है जिनमें उचित इलाज के साथ-साथ बीमारियों, स्वास्थ्य समस्याओं व दुर्घटनाओं की रोकथाम के प्रयासों को भी समान व समुचित महत्व मिले।

सभी ज़रूरतमंदों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार को जितने खर्च की आवश्यकता है, उसके अनुकूल ही सरकार को स्वास्थ्य बजट निर्धारित करना चाहिए। इसे उचित प्राथमिकता मिलनी चाहिए व इसमें कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। विशेषकर गांवों की स्वास्थ्य ज़रूरतों के अनुकूल बजट उपलब्ध होना बहुत ज़रूरी हो गया है।

अलबत्ता केवल स्वास्थ्य का बजट बढ़ाना पर्याप्त नहीं है। यदि बजट बढ़ भी गया पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में मुनाफाखोरी की प्रवृत्ति छाई रही तो बढ़ा हुआ बजट मुनाफाखोरी की भेंट चढ़ जाएगा। अतः बजट बढ़ाने के साथ मुनाफाखोरी पर रोक लगाना व वास्तविक ज़रूरत को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र का नियमन ज़रूरी है। ***(स्रोत फीचर्स)***